

**यूजेवीएन लिमिटेड**

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

U J V N Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "उज्ज्वल", महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून - 248006 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Ujjwal", Maharani Bagh, G.M.S. Road, Dehradun - 248006 (Uttarakhand)
दूरभाष/Phone-0135-2523213/2523214/2523215/2523216, Email : hr@ujvnl.com, Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 27001:2013, 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 Certified

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/93400/2024 दिनांक 03.07.2024 के अनुक्रम में कृष्णा हास्पिटल एण्ड रिसर्च सैन्टर, 3-136, गुरुनानक पुरा, हल्द्वानी (नैनीताल) को यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद/उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उसकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को चिकित्सालय में नियमानुसार भर्ती के दौरान/बाह्य रोगी की हैसियत से उपचार कराये जाने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति (दन्त चिकित्सा के उपचारों को छोड़ते हुए) हेतु दिनांक 01.07.2026 से दिनांक 30.06.2028 तक के लिये मान्यता विस्तारित की जाती हैं।

2. उक्त चिकित्सालय संलग्न दर सूची में दर्शाई गई दरों पर 20 प्रतिशत की छूट सहित (इम्प्लान्ट, दवाइयों और कन्ज्यूमेबल्स को छोड़कर) सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से सीधे भुगतान प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
3. चिकित्सालय की निम्नलिखित बिंदुओं के अनुपालन न करने पर उपरोक्त मान्यता कभी भी समाप्त की जा सकती है :-
 - a मान्यता अवधि में चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा चिकित्सा दरों में कोई वृद्धि किये जाने पर।
 - b किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिक राशि लेने की शिकायत आने या शिकायत का समाधान न होने पर।
 - c दर सूची में जो मद देय नहीं हैं, को अस्पताल के बिल में सम्मिलित किये जाने पर।
 - d अस्पताल को पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम में अथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
 - e अस्पताल के विरुद्ध यूजेवीएन लि० के मरीजों द्वारा लापरवाही या असहयोग की शिकायत आने पर अथवा उनका समाधान न होने पर।

चिकित्सालय प्रबन्धन को निगम द्वारा सहमत दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवं उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन हेतु सहमति रु० 100.00 के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पर यह आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपलब्ध करानी होगी। (प्रारूप संलग्न)

उपरोक्त संदर्भित आदेशों की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

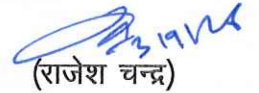
अधिशाली निदेशक (मा०सं०)

क्रमशः...../2

No. **M-2777** /UJVNL/05/Director HR/DGM(HR)/M-1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3. निदेशक (परिचालन)/ (परियोजनाएं)/ (वित्त)/ (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (जानपद)/ (वि०/ यॉ०)/ (ओ०एण्डएम०)/ (वित्त)/ (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
7. उपमहाप्रबन्धक (आई०टी०), यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून को निगम की वैबसाइट पर "चिकित्सालयों की मान्यता शीर्षक के अन्तर्गत" अपलोड करने हेतु।
8. कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
9. उप मुख्य लेखाधिकारी, सी०एस०पी०पी०ओ०, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
10. वरिष्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
11. Chief Business Development Officer, Krishna Hospital & Research Centre, 3-136, Gurunanak Pura, Haldwani, Nainital (Uttarakhand) (263141)
12. अध्यक्ष/महामंत्री समस्त यूनियन/एसोसिएशन।


(राजेश चन्द्र)

उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)